न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 03/20 दायरा दिनांक 04.11.2020

पीठासीन अधिकारी :— श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

अशोक पुत्र माना जाति अहीर निवासी सहरोल तलेटी तहसील शाहबाद, जिला—बारां

— प्रार्थी

बनाम

1. नक्टू पुत्र भंवरा जाति सहरिया निवासी सहरोल तलेटी तहसील, शाहबाद जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां **— अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. **श्री अरविन्द शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राज. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

निर्णय **दिनांक 07.04.2022**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.— राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम सहरोल तलहटी की भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 2.10 बीघा व खसरा नम्बर 490 रकबा 2.10 बीघा कुल रकबा 5.00 बीघा का दिनांक 05.06.2000 को अप्रार्थीक्रम 1 के पक्ष में किया गया आवंटन सर्वथा अवैध विधि विरूद्ध प्रभावशून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीक्रम 1 के पक्ष में किये गये आवंटन खसरा नम्बर 489 की भूमि [illegible] के पिता माना के कब्जे काश्त मं चली आ रही थी। माना ने ही भूमि को [illegible] बनाया उनके पश्चात् से प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त है। वक्त आवंटन भूमि [illegible] के कब्जे में होने से आवंटन हेतु उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:26 IST
Reason: SelfAttested

नहीं थी, अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 489 के आवंटन बाबत् प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया, 489 आवंटन करने की हल्का पटवारी द्वारा अनुशंषा भी नहीं की गई, अप्रार्थी को किये गये आवंटन आदेश में अप्रार्थी को खसरा नम्बर को खसरा नम्बर 484 की 2.10 बीघ भूमि आवंटित किया जाना दर्ज नम्बर से प्रकट होता है लेकिन षडयन्त्र पूर्वक आवंटन के पश्चात् आवंटन आदेश मे धोखाधडी कूटरचना करते हुये कपटपूर्वक खसरा नम्बर 484 के उपर ही अतिरिक्त खसरा नम्बर 489 दर्ज कर दिया है जबकि उक्त 489 को कोई रकबा भी अंकित नहीं है। उक्त प्रकार आवंटन आदेश में हेराफेरी कपट धोखाधडी होने से भी उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन के पश्पात से आज दिनांक तक अप्रार्थी ने दखल नहीं लिया मौके पर प्रार्थी का आवंटन के पूर्व से ही निरन्तर कब्जा काश्त हैं। आवंटन शर्जो की पालना नहीं होने से भी आवंटन स्वतः ही प्रभावशुन्य हो जाने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। प्रार्थी ने स्वयं को मिथ्या कथन कर कपटपूर्वक भूमिहिन बताकर हल्का पटवारी से सांठ गांठ कर स्वयं के हिस्से में 2.10 बीघा भूमि मात्र होना दर्ज करने की मिथ्या रिपोर्ट करवाकर कपटपूर्वक आवंटन आदेश प्राप्त किया हैं। जबकि अप्रार्थी के खोते में लगभग 25 बीघा भूमि दर्ज हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व भूमि पर कब्जा करने की मिथ्या रिपोर्ट करवाने पर थाने में पहुँचने व थाने में आप्रार्थी द्वारा स्वयं को आवंटन होना बताने व प्रार्थी द्वारा नकल लेने पर दिनांक 15.07.2020 को आवंटन होने का ज्ञान हुआ। कोरोना सक्रमण के चलते तुरन्त ही प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय में पेश नही हो सका। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश हैं।

अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सहरोलतलहटी की भूमि खसरा नं. 489 रकवा 2.10 बीघा तथा खं. नं. 490 रकवा 2.10 बीघा इस प्रकार कुल 5.00 बीघा भूमि दिनांक 05.06.2000 को आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम शाहबाद द्वारा अप्रार्थीक्रम–1 जो ग्राम सहरोल तलेटी का स्थाई निवासी हैं तथा सहरिया अनुसूचित जनजाति का भूमिहिन व्यक्ति हैं के हक में नियमानुसार आवंटन की गई हैं. इस कारण अप्रार्थीकम–1 के हक में किया गया आवंटन यथावत रखे जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 अस्वीकार है। वक्त आवंटन आराजी खसरा नम्बर 489 तथा 490 राजकीय सिवायचक भूमि होकर खाता सरकार दर्ज थी, जिस पर अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी दर्ज था, मौके पर अप्रार्थी काबिज था, इसी आधार उक्त भूमि अप्रार्थी के हक में आवंटन की गई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 489 की [illegible] कब्जे काश्त की होना बतलाया है, परन्तु कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि खसरा [illegible] का कुल रकबा कितना रहा है और उसमें से प्रार्थी कितने रकबे पर काबिज [illegible] प्रार्थी अपने [illegible] नोटिसों की आड में अप्रार्थी की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:26 IST
Reason: SelfAttested

आवंटनशुदा भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहता है, जिसका प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से खसरा नम्बर 489 की 2.10 बीघा तथा खसरा नम्बर 490 की 2.10 बीघा अंकित है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश में किसी भी प्रकार का कोई हेर–फेर अथवा धोखाधडी नहीं की गई है। इस कारण आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 3 अस्वीकार है। आवंटन दिनांक 05.06.2000 पश्चात् दिनांक 07.09.2000 को ही हल्का पटवारी द्वारा मौके पर अप्रार्थी को नियमानुसार दखल तथा कब्जा संभलाया गया है। तभी से अप्रार्थी साधिकार उक्त आवंटनशुदा भूमि पर निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है। विशेष आपत्ति अन्तर्गत अप्रार्थी का कथन रहा है कि वक्त आवंटन खसरा नम्बर 489 तथा 490 की भूमि सिवायचक होकर खाता सरकार दर्ज थी जिस पर अप्रार्थी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर जुर्माना जमा करा रहा था तावान रसीद संलग्न है। इसी आधार पर खसरा नम्बर 489 में से 2.10 बीघा तथा 490 में से 2.10 बीघा भूमि दिनांक 05.06.2000 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन कर दिनांक 07.09.2000 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर दखल दिया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2056–59 में अप्रार्थी के आवंटन का अंकन है। अप्रार्थी सहरिया अनुसूचित जनजाति का अनपढ़ व्यक्ति है। जिसने सोचा कि आवंटन का अमल होकर उक्त भूमि उसके खाते दर्ज कर दी गई होगी, परन्तु दिनांक 08.07.2020 को के.सी.सी. बनावने के लिए पटवारी से नकल प्राप्त की तब अप्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके आवंटन का अमल रिकार्ड में नहीं किया गया है, तक उसने दिनांक 09.07.2020 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी से रिकार्ड तथा मौके की रिपोर्ट ली गई। जिसमें मौके पर अप्रार्थी के कब्जे की पुष्टि हुई और रिकार्ड से पाया गया कि अप्रार्थी के उक्त आवंटन की पालना में नामान्तरकरण नम्बर 743 दर्ज है परन्तु तस्दीक नहीं है। वर्तमान में खसरा नम्बर 489 का 7.04 बीघा तथा 490 का 15.07 बीघा रकबा आज भी सिवायचक है। तहसीलदार शाहबाद ने बाद जांच आदेश क्रमांक/भू0अ0/2020/2838 दिनांक 25.09.2020 से अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुख्यरूप से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रश्नगत आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि खसरा नम्बर 489 की भूमि वक्त आवंटन प्रार्थी के पिता के कब्जे थी। खसरा नम्बर 489 का कोई आवंटन अप्रार्थी को नहीं किया गया है। बल्कि खसरा नम्बर 484 को काटकर 489 अंकित की गई है। प्रार्थी का यह भी कथन रहा है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है और अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:26 IST
Reason: SelfAttested

खाते में लगभग 25 बीघा भूमि होते हुये भी अप्रार्थी को भूमिहीन बताकर उक्त आवंटन किया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी का कथन रहा है कि अप्रार्थी सहरिया अनुसूचित जनजाति का भूमिहीन है, खसरा नम्बर 489 तथा 490 पर अतिक्रमी दर्ज था जिसके हक में नियमानुसार आवंटन किया गया है आवंटन की पालना में मौके पर दखल दिया गया है और अप्रार्थी आज भी मौके पर काबिज है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 अन्तर्गत नोटिस की प्रति से साबित होता है कि अप्रार्थी आवंटन के पूर्व से खसरा नम्बर 489 व 490 की 5.00 बीघा भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज था, प्रस्तुत जुर्माना रसीदों से तावान राशि जमा किया जाना साबित है। नकल खसरा, गिरदावरी 2056–59 में अप्रार्थी के आवंटन का उल्लेख है दखलनामा की प्रति पेश की गई है, जिससे साबित होता है कि आवंटन पश्चात् विधिवत अप्रार्थी को मौके पर दखल दिया गया है। संलग्न रिपोर्ट पटवार मण्डल शाहबाद से भी अप्रार्थी के कब्जे की पुष्टि होती है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वक्त आवंटन खसरा नम्बर 489 पर उसके पिता माना काबिज थे परन्तु अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है कि खसरा नम्बर 489 का कुल रकबा कितना था और उसके पिता कितने रकबे पर काबिज थे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, जिससे साबित होता हो कि अप्रार्थी के खाते में वक्त आवंटन 25 बीघा भूमि खाते रही हो। इस प्रकार प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे हैं। अतः उक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:26 IST
Reason: SelfAttested